भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या660

दिनांक 29.04.2015/09 वैशाख, 1937 (शक) को उत्तर के लिए

धर्मान्तरण-विरोधी कानून बनाया जाना

660 श्री अविनाश राय खन्नाः

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार धर्मान्तरण-विरोधी कानून पर साक्रियतापूर्वक विचार कर रही है;
(ख) यदी हां, तो सरकार ने विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ इस मुद्दे के संबंध में चर्चा की है;
(ग) यदी हां, तो इस संबंध में राजनीतिक दलों की क्या प्रतिक्रिया है;
(घ) क्या सरकार इस संबंध में प्रख्यात धार्मिक नेताओं के विचार जानना चाहती है; और
(ङ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री किरेन रिजिजू)**

(क) से (ङ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, कुछ राज्यों अर्थात अरूणाचल प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और ओडिशा ने ऐसे कानून अधिनियमित किए हैं, जिनमें बलपूर्वक अथवा प्रलोभन अथवा धोखाधड़ी के माध्यम आदि से एक धार्मिक आस्था से किसी अन्य धार्मिक आस्था में धर्म-परिवर्तन के निषेध का प्रावधान है। केन्द्र सरकार ने धर्म-परिवर्तन विरोध विधायन तैयार करन के मामले पर राजनीतिक दलों/धार्मिक नेताओं के साथ किसी भी विचार-विमर्श की शुरूआत नहीं की है।

*****